the existing and new units. The price of gas to the consumers at different locations in India will be known only after the delivered price is finalised. The return to Oman Oil Company will depend on the delivered price of gas and other factors such as financing cost etc.

Terrorism and subversion in Doda District (J&K)

*739. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether conditions regarding terrorism and subversion in Doda (J&K) have deteriorated during the last five months (January 1 to May 31, 1994);

(b) the number of terrorism related incidents which have occurred during the aforesaid period; and

(c) the number of casualties (dead/injured/kidnapped) of security personnel and civilians that have been caused?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): (a) to (c) Terrorist and Subversive activities in the District Doda have shown some increase during the last five months, which has brought the law and order and security situation under strain and generated tensions in the area. As per information available, there were 279 incidents of terrorist violence in the District during January-May 1994. In these incidents, 47 persons, including 9 security forces personnel are reported to have been killed, while 43, including 22 security forces personnel were injured; and 27 persons, including one police personnel, were abducted during the said period.

उल्फा को बढ़ावा देने के लिए निधियों का उपयोग

*740. **श्री राम जेठमलानी:**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल, 1994 के दैनिक "टाइम्स आफ इंडिया" में "फंड्स यूज्ड टू स्पोंसर उल्फा-सी०बी०आई०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आरोप लगाया गया है कि भारी मात्रा में भारत सरकार का धन असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खर्च किया गया है;

(ग) यदि हां, तो आरोप के अनुसार इस प्रयोजनार्थ अनुमानतः कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा गया है कि वह उक्त आरोप की पूरी जांच करे; और

(ङ) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) से (ङ) सरकार को इस समाचार की जानकारी है कि असम में राज्य के विभिन्न खजानों से कई करोड़ की राशि अवैध रूप से बाहर निकली और इसमें से कुछ उल्फा उग्रवादियों को दी गई। असम सरकार द्वारा एक-सदस्यीय एक जांच समिति गठित की गयी थी। इस समिति के निष्कर्षों के आधार पर असम सरकार द्वारा चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गयी। इसमें 22 अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करना सम्मिलित है। जांच-कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है, जिसने इस संबंध में मामले दर्ज कर दिए हैं।

Plight of Zoo Animals

7644. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem published in the Indian Express dated 22nd April, 1994 under the heading "Zoo animals may get a one way ticket to hell";

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether any specific relief has been provided to Delhi zoo to tide over its present difficulties and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Municipal Corporation of Delhi has agreed to change the category of billing from category III to category II, reducing the tariff rate on water supply to National Zoological Park (NZP). There has been regular increase in the allocation of Non-Plan Budget of the NZP during the past 3 years keeping in view their requirements and financial constraints.

Allocation of budget grant (Non-Plan) to NZP

(Crores of Rupees)

1992-93	1993-94	1994-95
1.32	1.55	1.65

वन-विभाग में अग्नि-शमन उपकरणों की उपलब्धता

7645. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन-विभाग को आधुनिक अग्निशमन उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन उपकरणों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो वनों में गर्मियों में लगने वाली आग को बुझाने हेतु क्या उपाय किये जाते हैं;

(ग) किन-किन वन-मंडलों में आधुनिक अग्नि-शमन उपकरण उपलब्ध कराए गये हैं; और

(घ) 1 मार्च से 31 मई, 1994 तक मध्य प्रदेश के वनों में आग लगने से कितनी क्षति हुई और जिन वनों में यह आग लगी, उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां" ग्यारह राज्यों में चल रही हैं। ये राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इस स्कीम को अब राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, जीवमंडल रिजर्वों तथा बाघ परियोजना रिजर्वों सहित देश के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अग्नि प्रवण क्षेत्रों में लागू किया गया है।

दावानल में प्रयुक्त औजार और उपस्कर पुलास्की, ब्रुश हुक, डबल बिट एक्स, बेलचा, मेकलेड, फायर रेकर, फायर फाइन्डर, फायर टेंडर, बेतार सेट तथा अग्नि प्रतिरोधी-कपड़े आदि हैं। अब तक इन औजारों/उपस्करों का प्रयोग दावानल नियंत्रण के लिए ऊपर वर्णित 11 राज्यों में किया गया है। अन्य मामलों में दावानल के नियंत्रण के लिए परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में पर्यावरण वाहिनियों का गठन

7646. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें पर्यावरण वाहिनियां गठित कर रही हैं और यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं;

(ख) क्या पर्यावरण वाहिनियों का गठन करने संबंधी प्रक्रिया केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के निदेशों के अंतर्गत तैयार की गयी है; यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन वाहिनियों में उन आदिवासियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने जल-जंगल-जमीन के विकास अभियान हेतु ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर पहले ही समितियां गठित कर ली हैं और जिन्होंने विकास कार्य हेतु गांव-गांव का दौरा किया है अथवा कर रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। जिन राज्यों में पर्यावरण वाहिनियों का गठन किया जा रहा है, उनके नाम संलग्न विवरण-I (**नीचे देखिये**) में दिये गये हैं।

(ख) पर्यावरण वाहिनियों के गठन के लिए क्रियाविधि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। उक्त क्रियाविधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। (**नीचे देखिये**)

(ग) गठन संबंधी क्रियाविधि में उल्लिखित योग्यता